छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.

सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002

दूरभाष नंबर : 0771–2425441

विपणन संघ के जिला कार्यालयों के लिये किराया वाहन हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा फॉर्म शुल्क – 5000/–

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल काम्पलेक्स, सी.बी.डी.,
सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
WWW.markfed.cg.nic.in mf_ctrlroom_raipur@gov.in

क्र./परिवहन/77II/एफ01/01/2017/ /2023 न.रा.अ.न. दिनांक / /2023

वाहन किराया निविदा निरस्तिकरण एवं संशोधित निविदा सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, के समस्त 33 जिलों के लिए लगभग 66 वाहन (प्रत्येक जिला हेतु 02 वाहन– वाहनों की संख्या घट बढ़ सकती है।) एक वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु ऑनलाइन ई–निविदा क्रमांक 132758 दिनांक 05.05.2023 से 05.06.2023 तक आमंत्रित की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त करते हुए उक्त कार्य हेतु एक वर्ष के लिये पुनः ऑनलाइन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सूचना http://eproc.cgstate.gov.in में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 13.07.2023 से 12.08.2023 शाम 05.00 बजे तक ऑनलाइन भरी जा सकती है। निविदा प्रारूप विपणन संघ के वेबसाईट www.markfed.cg.nic.in पर निविदाकर्ता के अध्ययन हेतु गाईड लाइन के रूप में उपलब्ध है। ई–निविदा की कार्यवाही के संबंध में अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये mjunction में संपर्क किया जा सकता है। email-helpdesk.cgeproc@mjunction.in फोन नंबर 1800 419 9140

सचिव,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला रायपुर (छ.ग.)

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल काम्पलेक्स, सी.बी.डी.,
सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
WWW.markfed.cg.nic.in mf_ctrlroom_raipur@gov.in

किराये के वाहन हेतु निविदा विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
1	निविदाकार से संबंधित जानकारी	
2	निविदा शर्ते/निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं	
3	निविदाकर्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी लिफाफा हेतु परिशिष्ट –01	
4	किराये के वाहन हेतु निविदा दर भाग (ख) वित्तीय लिफाफा हेतु परिशिष्ट –02	
5	निविदाकर्ता से इकरारनामा का प्रारूप परिशिष्ट –03	
6	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट –04	

1) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी। समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

2) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपना दरें प्रस्तुत करे, ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल काम्पलेक्स, सी.बी.डी.,
सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
WWW.markfed.cg.nic.in mf_ctrlroom_raipur@gov.in

किराये के वाहन हेतु निविदा

1. निविदाकार का पूरा नाम : .....
2. दूरभाष क्र./मोबाईल नं. : .....
3. निविदाकार का स्वरूप (फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दु अविभाजित परिवार) : .....
4. ट्रेवल्स का नाम एवं पता : .....
5. निविदा फार्म का मूल्य : राशि रू. 5000.00 (समस्त कर सहित)
6. निविदा फार्म का नगद क्रय की जानकारी : .....

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, के समस्त 33 जिलों के लिए लगभग 66 वाहन (प्रत्येक जिला हेतु 02 वाहन) एक वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु ऑनलाइन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा हेतु शेड्यूल निम्नानुसार हैः–

Bid start Date	13.07.2023	05.00 PM
Bid due Date	12.08.2023	05.00 PM
Bid open Date	14.08.2023	12.00 PM

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट wwww.markfed.cg.nic.in पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है, वेबसाईट से डाउनलोड कर भरी हुई निविदा के साथ राशि रू. 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. प्रमाणित किया जाता है कि निविदा प्रपत्र में पृष्ठ क्रमांक 01 से ..... तक है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पद मुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय – .....
जारी दिनांक – .....

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल काम्पलेक्स, सी.बी.डी.,
सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

WWW.markfed.cg.nic.in mf_ctrlroom_raipur@gov.in

किराये के वाहन के लिए निविदा शर्ते

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के समस्त जिलों हेतु कार्यालयीन उपयोग के लिये वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदा प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में दो सील बंद लिफाफो में जिसमे एक तकनीकी लिफाफा (परिशिष्ट– 01) एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (परिशिष्ट– 02) अलग–अलग होगा तथा दोनों लिफाफों को एक बड़े सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत होगा। निविदा फार्म में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।
2. (अ) तकनीकी लिफाफा (परिशिष्ट– 01) में निम्नानुसार दस्तावेज ट्रैवल्स द्वारा प्रदाय करना अनिवार्य हैः–
    1. एक ही फर्म अथवा प्रोप्राराइटरशीप का 05 वाहन का पंजीयन टैक्सी परमिट के रूप में होने संबंधी प्रमाण–पत्र।
    2. ट्रैवल्स व्यवसाय का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र (परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त)
    3. वाहन के वर्ष 2020 तथा इसके बाद का क्रय के संबंध में दस्तावेज ।
    4. रोड टैक्स, वाहन का बीमा तथा वाहन चालक का जीवित ड्राईविंग लाईसेंस।
    5. टैक्सी संचालन संबंधी नगर निगम का गुमास्ता प्रमाण पत्र।
    6. वाहनों का पंजीयन संख्या तथा वाहन चालकों का मोबाईल नम्बर।
    7. वाहनों का फिटनेस प्रमाण–पत्र।
    8. पिछले तीन वर्षो में से कम से कम दो वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति।
    9. राशि रू. 50,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट, जो छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को देय होगा, संलग्न करना होगा। यह कार्यादेश समाप्ति के उपरांत वापसी योग्य होगा। इस पर कोई अतिरिक्त देय नहीं होगा।
    10. उपरोक्त समस्त दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित होनी चाहिये।

    (ब) वित्तीय लिफाफे में दरें मासिक आधार पर परिशिष्ट–02 में दर्शाये तालिका अनुसार दी जावे।
3. वाहन का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में कही भी किया जा सकेगा।
4. वाहन चालक का वेतन, भत्ता आदि वाहन मालिक को देना होगा एवं वाहन चालक को अपने पास मोबाईल अनिवार्य रूप से चालू हालत में रखना होगा।
5. वाहन का रख–रखाव से संबंधित सभी व्यय वाहन के मालिक को वहन करना होगा तथा आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग किया जावेगा, समय का कोई बंधन नहीं होगा।
6. किराये की गणना मासिक आधार पर विपणन संघ के अधिकार में वाहन आने के पश्चात् से मानी जावेगी तथा दूरी की गणना विपणन संघ द्वारा वाहन रखे जाने हेतु निर्धारित किये गये स्थान से की जावेगी।
7. वाहन का टायर ट्यूब एवं स्टेपनी/टूल्स हमेशा अच्छी हालत में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
8. चालक द्वारा प्रतिदिन वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से लॉगबुक लिखाना एवं प्रमाणित कराना होगा एवं हस्ताक्षर करवाना होगा। उसी के आधार पर किराया देय होगा।
9. वाहन चालक को साफ–सुथरे कपड़े में अनुशासित एवं मर्यादित व्यवहार में रहना होगा।
10. वाहन का माईलोमीटर विधिवत कार्य करना चाहिए।
11. वाहन संतोषप्रद नहीं चलने पर अथवा वाहन चालक का व्यवहार खराब होने के कारण वाहन कभी भी वापस की जा सकेगी।
12. निविदत्त ट्रैवल्स एजेंसी/एजेंसियों द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा अन्य ट्रैवल्स एजेन्सी से समान दर व शर्तों पर वाहन लिया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तें पूरी न करने पर संबंधित ट्रेवल्स एजेन्सी को विपणन संघ कार्यो के लिये 03 वर्ष के लिये प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
13. अनुबंध अवधि के अंतर्गत वाहन की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व ट्रेवल्स एजेन्सी/वाहन चालक का रहेगा। उपयोग अवधि में किसी भी प्रकार की घटना/ दुर्घटना से यदि वाहन/जान–माल को कोई क्षति पहुंचती है तो इसकी जवाबदारी विपणन संघ की नहीं होगी।

14. वाहन किराये पर लेने व न लेने का अधिकार अथवा किसी भी एजेन्सी का वाहन किराये पर लेने का अधिकार विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा। इस निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
15. विपणन संघ द्वारा आवश्यता नहीं होने पर किसी भी समय वाहन बंद किया जा सकता है।
16. अनुबंधकर्ता द्वारा देयक मासिक आधार पर प्रत्येक माह की समाप्ति के एक सप्ताह की अवधि में देयक दो प्रतियों में लॉगबुक/लॉग कार्ड के साथ संबंधित जिला कार्यालयों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना होगा।
17. वाहन से संबंधित सभी शुल्क आदि भुगतान की जिम्मेदारी ट्रेवल्स/वाहन मालिक की होगी।
18. वाहन एवं वाहन चालक की पूर्ण जोखिम वाहन स्वामी का होगा। विपणन संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. लगातार 02 माह तक वाहन चालक को वेतन भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित वाहन के देयक भुगतान रोकने की कार्यवाही की जा सकती है।
20. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर एक वर्ष की अवधि हेतु परिशिष्ट–03 अनुसार 100/– रू. के स्टाम्प पेपर में अनुबंध करना अनिवार्य होगा। ट्रैवल्स एजेंसी की उपयुक्तता के आधार पर इस अनुबंध की अवधि पुनः अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाये जाने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित होगा।
21. किसी भी स्थिति में नॉन टैक्सी परमिट वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज की वैधता/सत्यता की संपूर्ण जवाबदारी ट्रेवल्स एजेन्सी की होगी। वाहन का परमिट, फिटनेस, बीमा एवं अन्य दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में युक्ति–युक्त प्रमाण देने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।
22. यदि ट्रेवल्स एजेन्सी द्वारा स्वयं के वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन का उपयोग किया जाता है, तो संबंधित वाहन मालिक की अनापत्ति अनिवार्य होगी।
23. प्रथम बार भुगतान प्राप्त करने हेतु निरस्त चैक की प्रति देयक के साथ लगानी होगी। समस्त भुगतान RTGS/PFMS के माध्यम से किये जावेंगें। नियमानुसार करों की कटौती देयक से की जावेगी। पेन नं./जी.एस.टी. नं. उपलब्ध कराने/नहीं कराने पर नियमानुसार करों की कटौती की जावेगी। आयकर एवं जी.एस.टी. अधिनियम के अनुसार प्रचलित दर/लागू दर पर कर की कटौती जावेगी।
24. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
25. यह निविदा 120 दिवस के लिये वैध रहेगी। निविदा में दी गयी दरें प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष के लिये वैध रहेगी। बाद में आवश्यकता के आधार पर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
26. जिस निविदाकार का L1 होगा उसे नेगोशियेशन उपरांत निविदा दी जावेगी।
27. निविदाकार का पिछलें 03 वर्षों का औसत टर्नओवर एक करोड़ होना चाहिये, जिसके प्रमाणन हेतु आवश्यक दस्तावेज किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित हो।
28. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक/243/वि./नि./चार/2013 नया रायपुर दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं, की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है (परिषिश्ट 4)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

भाग – ''क''

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

1. निविदाकार का पूरा नाम एवं पता : .....
   .....
   .....
2. दूरभाष क्र./मोबाईल नं. : .....
   .....
3. निविदाकार का स्वरूप : .....
   (फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दु अविभाजित परिवार)
4. ट्रेवल्स एजेंसी का नाम एवं पता : .....
   .....
5. ट्रेवल्स एजेंसी के नाम कितने वाहन : .....
   (गाड़ी का नाम एवं संख्या) .....
   (पंजीयन एवं फिटनेस की सत्य प्रति संलग्न करें) .....
6. निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण : .....

   रूपये कुल .....
   बैंक ड्राफ्ट नंबर .....
   बैंक का नाम .....

7. संलग्न निविदाकार के हस्ताक्षरित इकरारनामा : .....
8. इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची (निविदा शर्त क्रमांक 02(अ) अनुसार)
9. यदि विपणन संघ द्वारा हमें/मुझे किराये के वाहन सौंपा जाता है तो हम/मै नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारंटी जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूँ।
10. हम/मै इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियॉ मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक – .....

स्थान – .....

हस्ताक्षर – .....

नाम – .....

फर्म का नाम – .....

पूरा पता – .....

हैसियत – .....

मुहर – .....

नोट :– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्ट अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

भाग – ''ख''
(वित्तीय लिफाफा हेतु)
निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

निविदाकर्ता का नाम : .....
पता : .....
: .....
टेवर्ल्स का नाम : .....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, के जिला कार्यालयों में किराया वाहन हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैने कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म को हमने/मैने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशो/संविदा शर्तो, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये विवरण को भली भॉति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मै उनके पालन के लिए सहमत है/हूँ।

निविदा दर (AC)

क्र.	**वाहन का प्रकार**	**किराया प्रतिमाह 2000 कि.मी. तक राशि रूपये में (जी.एस.टी अतिरिक्त)**	**अतिरिक्त किराया प्रतिमाह (2000 कि.मी. के पश्चात) प्रति किमी. रूपये में (जी.एस.टी अतिरिक्त)**
1	बोलेरो, स्विफ्ट डिजायर, टाटा जेस्ट, आई 20, स्विफ्ट, मारूती ब्रेजा, हुण्डई एक्सेंट एवं समतुल्य वाहन		

हस्ताक्षर

संलग्न – .....
(निविदाकार)

दिनांक–.....

स्थान–.....
सील

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, निविदा की सभी शर्तो एवं नियमों को पढ़ लिया गया है तथा मुझे मान्य है।
2. मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही मुझे मान्य है।
3. उपरोक्त निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक, विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

हस्ताक्षर

(निविदाकार)

संलग्न – .....

दिनांक–.....

स्थान–.....

सील

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक ..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर तथा पक्ष मेसर्स .....की ओर से श्री .....वल्द..... जिला ..... के निवासी है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, निविदाकर्ता द्वारा विपणन संघ में दिनांक .....से दिनांक ..... तक की अवधि इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों एवं शर्तों पर स्वीकार किया गया है।

अनुबंध शर्ते

1. निम्नानुसार दस्तावेज ट्रैवल्स द्वारा प्रदाय करना अनिवार्य है :–
   - I. एक ही फर्म अथवा प्रोप्राराइटरशीप का 05 वाहन का पंजीयन टैक्सी परमिट के रूप में होने संबंधी प्रमाण–पत्र।
   - II. ट्रैवल्स व्यवसाय का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र (परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त)
   - III. वाहन के वर्ष 2020 तथा इसके बाद का क्रय के संबंध में दस्तावेज।
   - IV. रोड टैक्स, वाहन का बीमा तथा वाहन चालक का जीवित ड्राईविंग लाईसेंस।
   - V. टैक्सी संचालन संबंधी नगर निगम का गुमास्ता प्रमाण पत्र।
   - VI. वाहनों का पंजीयन संख्या तथा वाहन चालकों का मोबाईल नम्बर।
   - VII. वाहनों का फिटनेस प्रमाण–पत्र।

   उक्त समस्त दस्तावेज परिवहनकर्ता द्वारा सील के साथ सत्यापित होना चाहिए।
2. वाहन का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में कही भी किया जा सकेगा।
3. वाहन चालक का वेतन, भत्ता आदि वाहन मालिक को देना होगा एवं वाहन चालक को अपने पास मोबाईल अनिवार्य रूप से चालू हालत में रखना होगा।
4. वाहन को जिला कार्यालय विपणन संघ अथवा उपयोगकर्ता अधिकारी के निवास में, जैसा भी आदेशित किया जाये, रखा जाना होगा।
5. वाहन का रख–रखाव से संबंधित सभी व्यय वाहन के मालिक को वहन करना होगा तथा आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग किया जावेगा, समय का कोई बंधन नहीं होगा।
6. किराये की गणना मासिक आधार पर विपणन संघ के अधिकार में वाहन आने के पश्चात् से मानी जावेगी तथा दूरी की गणना विपणन संघ द्वारा वाहन रखे जाने हेतु निर्धारित किये गये स्थान से की जावेगी।
7. वाहन का टायर ट्यूब एवं स्टेपनी/टूल्स हमेशा अच्छी हालत में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
8. चालक द्वारा प्रतिदिन वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से लॉगबुक लिखाना एवं प्रमाणित कराना होगा एवं हस्ताक्षर करवाना होगा। उसी के आधार पर किराया देय होगा।
9. वाहन चालक को साफ–सुथरा कपड़ा में अनुशासित एवं मर्यादित व्यवहार में रहना होगा।
10. वाहन का माईलोमीटर विधिवत कार्य करना चाहिए।
11. वाहन संतोषप्रद नहीं चलने पर अथवा वाहन चालक का व्यवहार खराब होने के कारण वाहन कभी भी वापस की जा सकेगी।
12. निविदत्त ट्रैवल्स एजेंसी/एजेंसियों द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा अन्य ट्रैवल्स एजेन्सी से समान दर व शर्तो पर वाहन लिया जा सकेगा। अनुबंध की शर्ते पूरी न करने पर संबंधित ट्रेवल्स एजेन्सी को विपणन संघ कार्यो के लिये 03 वर्ष के लिये प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
13. अनुबंध अवधि के अंतर्गत वाहन की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व ट्रेवल एजेन्सी/वाहन चालक का रहेगा। उपयोग अवधि में किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना से यदि वाहन/जान–माल को कोई क्षति पहुंचती है तो इसकी जवाबदारी विपणन संघ की नहीं होगी।
14. वाहन किराये पर लेने व न लेने का अधिकार अथवा किसी भी एजेन्सी का वाहन किराये पर लेने का अधिकार विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
15. विपणन संघ द्वारा आवश्यता नहीं होने पर किसी भी समय वाहन बंद किया जा सकता है।

16. अनुबंधकर्ता द्वारा देयक मासिक आधार पर प्रत्येक माह की समाप्ति के एक सप्ताह की अवधि में देयक दो प्रतियों में सत्यापित लॉगबुक/लॉग कार्ड के साथ संबंधित जिला कार्यालयों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना होगा।
17. वाहन मालिक का संबंधित सभी शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। फास्टेग की सुविधा अनिवार्य होगी।
18. वाहन एवं वाहन चालक की पूर्ण जोखिम वाहन स्वामी का होगा। विपणन संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. लगातार 02 माह तक वाहन चालक को वेतन भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित वाहन के देयक भुगतान रोकने की कार्यवाही की जा सकती है।
20. प्रथम बार भुगतान प्राप्त करने हेतु निरस्त चैक की प्रति देयक के साथ लगानी होगी। समस्त भुगतान RTGS/PFMS के माध्यम से किये जावेगें।
29. देयक से नियमानुसार करों की कटौती होगी। प्रथम बार भुगतान प्राप्त करने हेतु निरस्त चैक की प्रति देयक के साथ लगानी होगी। समस्त भुगतान RTGS/PFMS के माध्यम से किये जावेंगें। पेन नं./जी.एस. टी. नं. उपलब्ध कराने/नहीं कराने पर नियमानुसार करों की कटौती की जावेगी। आयकर एवं जी.एस. टी. अधिनियम के अनुसार प्रचलित दर/लागू दर पर कर की कटौती जावेगी।
21. वाहन मालिक GST /आयकर/सेवा शुल्क एवं अन्य शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
22. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
23. किसी भी स्थिति में नॉन टैक्सी परमिट वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज की वैधता/सत्यता की संपूर्ण जवाबदारी ट्रेवल्स एजेन्सी की होगी। वाहन का परमिट, फिटनेस, बीमा एवं अन्य दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में युक्ति–युक्त प्रमाण देने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।
24. यदि ट्रेवल्स एजेन्सी द्वारा स्वयं के वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन का उपयोग किया जाता है, तो संबंधित वाहन मालिक की अनापत्ति अनिवार्य होगी।
25. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए मान्य रहेगी। ट्रेव्हल एजेंसी के परफार्मेन्स उपयुक्त पाये जाने पर इस अनुबंध की अवधि को पुनः आगामी अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाये जाने एवं आवश्यकता अनुसार निविदा दरों में वृद्धि करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

गवाह :–

1. नाम ..... पक्ष 01 छ.ग. राज्य सह.विप. संघ की ओर से
पता .....
.....
हस्ताक्षर .....

2. नाम ..... पक्ष 02 परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील
पता .....
.....
हस्ताक्षर .....

C.G. STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

6th Floor, Tower 'C', Commercial Complex,
CBD Building, Sector - 21, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.)



INTEGRITY PACT

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20 , between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri _____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/ Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri _____ Chief Executive Officer/Authorized Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership /Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment/ Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favor or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/ PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favor, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favor, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favor or disfavor to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR is the original Manufacture/ Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favor of..

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalized Bank, promising payment of the guaranteed sum to the (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid up to a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/ PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning *any* reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/PRINCIPAL shall not be required to assign *any* reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving *any* compensation to the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of_____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/ PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/ PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to any middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest /stake in the BIDDER /SELLER / CONTRACTOR's firm, the same shall be

disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. <u>FALL CLAUSE</u>

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by

the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e. at RAIPUR Chhattisgarh.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on.....

BUYER/PRINCIPAL **BIDDER/SELLER/CONTRACTOR**
Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Designation
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness **Witness**

1) _____ **1)** _____

2) _____ **2)** _____